

न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला —बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.कमांक—543 / 2009

संस्थित दिनांक—14.09.2007

फाइलिंग क.234503000112007

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बैहर
 तहसील—बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियोजन**

विरुद्ध

सुनील नावरे पिता राजाराम नावरे, उम्र—42 वर्ष,
 निवासी—ग्राम रजेगांव, थाना किरनापुर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **आरोपी**

// निर्णय //

(आज दिनांक—14 / 10 / 2015 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 338 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक—07.09.2007 को मोहबट्टा पिपरिया नाला के पास थाना बैहर अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन एस.टी. बस क्रमांक—एम.एच—31 ए.पी—9816 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए आहत शंकरसिंह को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित किया।

2— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक—07.09.2007 को फरियादी शंकर, गांव के सिलिप सोनी के साथ साईकिल में बैठकर बैहर आ रहा थे जैसे ही पिपरिया के पास के नाला के उपर वे पैदल चल रहे थे कि पीछे से पिपरिया की तरफ से बैहर तरफ बस क्रमांक—एम.एच—31 ए.पी—9816 का चालक वाहन को तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए लाया और उसे पीछे से साईकिल और उसे ठोस मार दिया, जिससे उसे दाहिने हाथ की कोहनी के पास चोट लगकर सूजन आई थी। फिर बस वाले को रोककर उसका नाम पूछने पर उसने अपना नाम सुनील नावरे बताया था। फिर बस वाला बैहर आ गया और वह अपने गांव के राजेन्द्र गनवीर, जीवनसिंह धुर्वे, मनोहर सोनी को बताया था। उक्त घटना की रिपोर्ट उसके द्वारा पुलिस थाना बैहर में वाहन चालक के विरुद्ध दर्ज कराई, जिस पर पुलिस थाना बैहर

के द्वारा आरोपी वाहन चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक-85/2007, धारा-279, 337 भा.द.वि. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस ने आहत का चिकित्सीय परीक्षण करवाकर विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया, दुर्घटना कारित वाहन जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा आहत शंकरसिंह की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा-338 भा.द.वि. का इजाफा किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-07.09.2007 को मोहबट्टा पिपरिया नाला के पास थाना बैहर अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन एस.टी. बस क्रमांक-एम.एच-31 ए.पी-9816 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
2. क्या उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आरोपी ने उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत शंकरसिंह को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित किया ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5- आहत शंकरसिंह (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के समय वह साईकिल से पिपरिया रोड से बैहर आ रहा था, तो रास्ते में उसे एस.टी. बस ने टक्कर मार दी थी, जिससे उसे दाएं हाथ में चोट लगी थी। घटना के समय उक्त वाहन को आरोपी तेजी से चला रहा था तथा आरोपी की गलती व उपेक्षा से दुर्घटना हुई थी। उसने घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 थाना बैहर में लेख की थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसका चिकित्सीय परीक्षण करवाया था।

साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं हुआ है। इस प्रकार साक्षी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 एवं उसके पुलिस कथन के अनुरूप कथन किये हैं, जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

6— साक्षी सिलिप सोनी (अ.सा.6) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के समय आहत शंकर साईकिल से मोहबट्टा तरफ से अपनी साईड से आ रहा था, तो पीछे से एस.टी. बस ने उसे टक्कर मार दी, जिससे आहत शंकर के हाथ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। उक्त दुर्घटना बस चालक की गलती से हुई थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि बस सामान्य गति से चल रही थी। यद्यपि आरोपी की बस सामान्य गति से चलाया जाना मान भी लिया जाए, तब भी साक्षी के कथन का इस बारे में खण्डन नहीं किया गया है कि आरोपी की लापरवाही व गलती से दुर्घटना नहीं हुई थी। इस प्रकार साक्षी ने घटना के समय आहत शंकर को बस के द्वारा धक्का देने से उसके हाथ में अस्थिभंग कारित होने की पुष्टि की गई है।

7— चिकित्सीय साक्षी डॉ. एन.एस. कुमारे (अ.सा.5) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि आरक्षक के द्वारा आहत शंकर को परीक्षण हेतु पेश करने पर उसने आहत के दाहिने हाथ में चोटें पाई थी और एक्सरे की सलाह दी थी। उसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 है। उसने आहत का एक्सरे करवाया था, जिसमें उसके दाहिने हाथ में अस्थिभंग होना पाया था। उसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार चिकित्सीय साक्षी की साक्ष्य से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि घटना के समय आहत शंकर को दाहिने हाथ में अस्थिभंग होने से घोर उपहति कारित हुई थी।

8— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षीगण मनोहर (अ.सा.2) एवं राजेन्द्र (अ.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उन्होंने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी। उक्त साक्षीगण को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षीगण ने अभियोजन मामलें का महत्वपूर्ण समर्थन नहीं किया है। साक्षीगण ने केवल इस तथ्य की पुष्टि की है कि उन्हें आहत शंकर ने दुर्घटना वाली बात बताई थी। इसी प्रकार साक्षी जीवनसिंह (अ.सा.4) ने भी अपनी साक्ष्य में घटना के संबंध में कोई जानकारी न होना कहते हुए अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

9— अभियोजन की ओर से मामलें में अनुसंधानकर्ता अधिकारी की साक्ष्य नहीं कराई जा सकी है, किन्तु मामलें की प्रकृति को देखते हुए अनुसंधान कर्ता अधिकारी की

समर्थनकारी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण में अनुसंधानकर्ता अधिकारी के साक्ष्य के अभाव में अभियोजन का मामला प्रभावित नहीं होता है।

10— प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्षी आहत शंकर (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामलों के अनुरूप कथन किये हैं, जिसका बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। अन्य साक्षी सिलिप सोनी (अ.सा.6) ने अपनी साक्ष्य में उक्त दुर्घटना बस के चालक की गलती से होना और उक्त दुर्घटना में आहत शंकर के हाथ में अस्थिभंग कारित होने की पुष्टि की है। चिकित्सीय साक्षी की साक्ष्य से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि घटना के समय आहत शंकर के दाहिने हाथ में अस्थिभंग होकर उसे घोर उपहति कारित हुई थी। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अन्य स्वतंत्र साक्षीगण का अभियोजन मामलों का समर्थन न करने मात्र से अभियोजन का मामला संदेहास्पद प्रकट नहीं होता है।

11— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक-07.09.2007 को मोहबट्टा पिपरिया नाला के पास थाना बैहर अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन एस.टी. बस क्रमांक-एम.एच-31 ए.पी-9816 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए आहत शंकरसिंह को टक्कर मारकर उसे घोर उपहति कारित किया। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

12— आरोपी के द्वारा किया गया अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। आरोपी के द्वारा वर्ष 2009 से विचारण का सामना किया जा रहा है और उसके विरुद्ध अन्य अपराध पूर्व दोषसिद्धी का प्रमाण पेश नहीं है। अतएव प्रकरण की परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को भारतीय दण्ड विधान की धारा-279, 338 के अंतर्गत कमशः 500/-, 1,000/-कुल (एक हजार पांच सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की व्यतिक्रम की दशा में आरोपी को एक-एक माह का सादा कारावास भुगताया जावे।

13— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

14— प्रकरण में आरोपी मामले में न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है। अतएव उक्त के संबंध में धारा-428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत पृथक से प्रमाण-पत्र तैयार किया

जाये।

15— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन एस.टी. बस क्रमांक—एम.एच—31 ए.पी—9816 मय दस्तावेज के सुपुर्ददार देवगिरी बोदले पिता कन्हैया गिरी बोदले, निवासी ग्राम कटंगी कला गोंदिया, थाना गोंदिया को सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया है, जो कि अपील अवधि पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)